

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड कोटा

क्रमांक 1376

दिनांक 22/9/15

निविदा सूचना संख्या 03/2015-16

राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रक्रिया में नये नियमानुसार मण्डल के निर्धारित श्रेणी के व अन्य विभागों के "ए" एवं "एए" श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार जो निविदा प्रपत्रानुसार पात्रता रखते हो, निर्धारित अमानत राशि जमा करवा कर भाग ले सकते हैं। निविदा प्रपत्र कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड कोटा सी.ए.डी. सर्किल कोटा द्वारा कार्यालय समय में दिनांक 12.10.2015 से 14.10.2015 को सांय 5:00 बजे तक बेची जावेगी एवं दिनांक 15.10.2015 को दोपहर 2:00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन सांय 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। धरोहर राशि अन्य विभागों में पंजीकृत "ए" एवं "एए" श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा कार्य राशि का 2 प्रतिशत एवं मण्डल में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा आधा प्रतिशत देय होगी। इन निविदाओं से संबंधित विस्तृत नियम व शर्तें उपर्युक्त तिथियों में किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (रु० में)	निविदा शुल्क (रु० में)	कार्य अवधि
1	R/M Sanitary Electric Works in H.No. 4-C-28 Rangbari Kota	5.07	10140.00	500.00	2 माह
2	Earth filling of well & construction of Road at Jhalarapatan, Distt. Jhalawar.	3.79	7580.00	500.00	2 माह


नोट :- (1) राजस्थान आवासन मण्डल में भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समस्त दायित्व ठेकेदारों को वहन करना होगा; (2) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदार को पंजीयन करवाना होगा अन्यथा नियमानुसार उपकर (प्रत्येक बिल राशि की एक प्रतिशत राशि) काटी जावेगी। (3) निविदा आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र, विक्री कर क्लीयरेन्स, पेन कार्ड की छायाप्रति, सेवा कर के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति व धरोहर राशि का पेऑर्डर राजस्थान आवासन मण्डल के पक्ष में संलग्न करना होगा। (4) कोई भी निविदा अथवा समस्त निविदाएँ बिना कारण बताएँ निरस्त/स्थगित करने का पूर्ण अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित है। (5) शर्तें निविदाएँ स्वीकार्य नहीं होगी। (6) टैलेक्स तार, फैक्स से निविदा देने पर अमान्य होगी।

भवदीय

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड कोटा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा।
2. सूचना पट्ट।


आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड कोटा